सेवा में –

मानननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट नई दिल्ली
भारत पिन– 110001

दिनांक– 23/08/2023

विषय– प्रार्थी को माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के तरफ से निशुल्क रुप से एक विद्यवान अधिवक्ता उपलब्ध कराने के सम्बंध में प्रार्थना पत्र–

महोदय्–

विनम्र निवेदन के साथ अवगत कराना है कि प्रार्थी सम्पूर्णा नन्द पुत्र श्री कल्लू राम ग्राम–भगौती देई पो0– पटिहटा, थाना– अहरौरा, तहसिल–चुनार परगना– भगवत जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 का मूलनिवासी है तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 521/2022 , सम्पूर्णा नन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मूल आवेदक है । महोदय प्रार्थी एक मध्यम परिवार से आता है जो शारीरिक रुप से दिव्यांग भी है। क्षेत्र में संचालित मानक विपरीत अवैध खनन पट्टे भारी ब्लास्टिंग व मानक विपरीत स्टोन क्रेशर प्लांटों का संचालन होता है जिससे क्षेत्र ही नहीं बल्कि पुरे जनपद,प्रदेश,देश यहॉ तक की विश्व के लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन उक्त ओ0ए0 में दर्शाए गए गॉवों के लोग प्रत्यक्ष रुप से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं या कह सकते हैं कि प्रताणित हो रहे हैं जिसे देखते हुए प्रार्थी ने माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में एक प्रार्थना पत्र भेजा जिसके आधार पर दिनांक 01/09/2022 को उक्त ओ0ए0 नं0– 521/2022 , सम्पूर्णा नन्द बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के रुप में मानते हुए दिनांक 01/09/2022 को एक संयुक्त जॉच समिति का गठन करके जॉच करने का आदेश मा0 अधिकरण ने दिया,जॉच के द्वौरान जॉच समिति को भारी खामिया मिली जिसकी रिपोर्ट मा0 अधिकरण को जॉच समिति ने भेज दिया फिर मा0 अधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 27/04/2023 व 03/07/2023 में प्रश्नगत सभी खनन पट्टे व उक्त क्षेत्र में पड़ने वाले सभी स्टोन क्रेशर प्लांटों पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया गया है । महोदय उक्त केस में जो भी तथ्य रखना होता है अभी तक प्रार्थी ने विभिन्न तरह से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अपने विवेक से रखता आया है जिसमें व्यवस्थित रुप से लिखावट में त्रुटि भी हो सकती है जिसके वजह से प्रार्थी का मानना है कि अपने बातों/तथ्यों को व्यवस्थित रुप से रखने के लिए एक विद्यवान अधिवक्ता का होना बहुत जरुरी है लेकिन प्रार्थी के पास धन का अभाव है जिसके चलते वह कोई विद्यवान अधिवक्ता अपने स्वयं के खर्च पर रखनें में असमर्थ है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि मा0 अधिकरण प्रार्थी को विना किसी शुल्क के एक विद्यवान अधिवक्ता देनें का कष्ट करें जो उक्त

केस में प्रभावी ढ़ंग से प्रार्थी के बातों व वास्तविक तथ्यों को मा0 अधिकरण के समक्ष रख सकें आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी
Sampurnanand 23/08/2023
सम्पूर्णा नन्द
ग्राम– भगौती देई, पो0– पटिहटा, चुनार थाना–
अहरौरा मिर्जापुर उ0प्र0 पिन– 231304
मो0– 9450936703
इमेल 89sampurna@gmail.com